

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] No. 72] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 2016/पौष 21, 1937

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 11, 2016/PAUSA 21, 1937

पर्यावरण, वन और वायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2016

का.आ. 78(अ).—केद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (रा.स्त.प.प्र.नि.प्रा.), मध्य प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् मध्य प्रदेश प्राधिकरण कहा गया है) की सहायता के प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश राज्य में खनन क्रियाकलापों से संबंधित सभी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दूसरी राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् रा.वि.मू.स.-2 कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :-

1. डा. नवीन चन्द्र

अध्यक्ष

मकान सं. 246, सेक्टर 9-बी,

साकेत नगर, भोपाल – 462 024

(म.प्र.)।

2. श्री अनिल कुमार शर्मा

सदस्य

50, न्यू एमपी/एमएलए क्वाटर्स,

130 GI/2016 (1)

डिपो के निकट, जवाहर चौक, केनरा बैंक के पीछे, भदभाड़ा रोड, भोपाल (म.प्र.)।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
 39, रघुनाथ नगर,

सदस्य

शाहपुर थाना के निकट,

भोपाल - 462 039 (म.प्र.)।

4. डा. सोनल मेहता

सदस्य

209 बी, शहनाई रेजिडेंसी 2,

बंगाली स्कायर, कनाडिया रोड,

इंदौर, म.प्र.।

5. डा. मोहम्मद अकरम खान

सदस्य

प्रधान वैज्ञानिक, सीएसआईआर –

एडवांस्ड मेटिरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट

(सीएसआईआर-एएमपीआरआई),

होशंगाबाद रोड, हबीबगंज नाका,

भोपाल - 462 064

(म.प्र.) भारत।

6. श्री मोहम्मद कसम खान

सदस्य

एफ-402, रिगालिया हाईट्स,

अहमदाबाद प्लेस रोड, कोह-ए-फिजा,

भोपाल म.प्र. 462 001।

7. श्री प्रशांत श्रीवास्तव

सदस्य

डूप्लेक्स - 145, शीतल मेगा सिटी,

मंडीदीप जिला रायसेन (म.प्र.)।

8. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड

सदस्य- सचिव

- 2. रा.वि.मृ.स.-2 की सिफारिशें, अपने विनिश्चय के लिए उक्त प्राधिकरण के विचार में लाया जाएगा।
- 3. रा.वि.मू.स.-2, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए पद धारण करेंगे।
- 4. रा.वि.मू.स.-2, मध्य प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी, जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रमाणित है।
- 5. रा.वि.मू.स-2., मध्य प्रदेश सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्यता पर पहुंचने का प्रयास करेगा तथा यदि मतैक्यता पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी।
- 6. मध्य प्रदेश राज्य सरकार, मध्य प्रदेश रा.वि.मू.स.-2, मध्य प्रदेश के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन, जिसके अंतर्गत उसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, सहित उसे प्रदान करेगी।
- 7. रा.वि.मू.स.-2, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते का मध्य प्रदेश राज्य सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार संदत्त होगा।

[सं. जे-11013/63/2007-आई.ए.II(I)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2016

- **S.O. 78(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests Number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette notification), the Central Government, for the purpose of assisting the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Madhya Pradesh (hereinafter in this notification referred to as the said Authority), in consultation with the State Government of Madhya Pradesh, hereby constitutes the Second State Expert Appraisal Committee(hereinafter referred to as SEAC-2) from the date of publication of this notification in the official Gazette, for appraisal of all the projects related to Mining activities, in the State of Madhya Pradesh, comprising of the following Members, namely:-
 - Dr. Navin Chandra
 House No. 246, Sector 9-B,
 Saket Nagar, Bhopal 462 024
 (M.P.)

Chairman

2. Shri Anil Kumar Sharma

Member

50, New MP/MLA Quarters, Near Depot, Jawahar Chowk, Behind Canara Bank Bhadbhada Road, Bhopal (M.P).

3. Shri Rajendra Kumar Sharma

Member

39, Raghunath Nagar, Near Shahpura Thana, Bhopal – 462039 M.P.

4. Dr. Sonal Mehta

Member

209 B, Shehnai Residency 2, Bengali Square, Kanadia Road, Indore, MP.

5 Dr. Mohd. Akram Khan

Member

Principal Scientist, CSIR – Advanced Materials and Process Research Institute (CSIR-AMPRI), Hoshangabad Road, Near Habibganj Naka, Bhopal – 462 064 (M.P) India

6 Shri Mohd. Kasam Khan

Member

F-402, Regalia Heights, Ahmedabad Palace Road, Koh e Fiza, Bhopal M.P 462001.

7. Shri Prashant Shrivastava

for its decision.

Member

Duplex -145, Sheetal Mega City, Mandideep District Raisen (MP).

8. Member Secretary, M P Pollution Control Board

Secretary

- 2. The recommendations of the SEAC-2, shall be taken into consideration by the said Authority
- 3. The Chairman and Members of the SEAC-2, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the official Gazette.
- 4. The SEAC-2 shall exercise such powers and follow such procedures as are enumerated in the said Gazette notification.
- 5. The SEAC-2 shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the opinion of the majority shall prevail.

- 6. The State Government of Madhya Pradesh shall notify an agency to act as Secretariat for the SEAC-2, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.
- 7. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of SEAC-2 shall be paid in accordance with the existing rules of the State Government of Madhya Pradesh.

[No. J-11013/63/2007-IA.II (I)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.